न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 137/2018

चतरा पुत्र धूलीनाथ जाति नाथ निवासी पापडली तहसील मांगरोल जिला बारां

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादी

दावा नियमन अन्तर्गत धारा 75 आर0एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 10.11.2018

निर्णय दिनांक : 20.11.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति मुकाम उदपुरियां दिनांक 25.03.1989 को प्रार्थी चतरा पुत्र धूलीनाथ निवासी पापडली के नाम ग्राम पापडली में आराजी खसरा नं0 219 रकबा 5 बीघा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.03.1989 के तहत बाजार दर रू0 3000/– प्रति बीघा से कुल रू0 15000/– कीमत जमा कराने की शर्त पर कीमतन नियमन की गई। तदुपरान्त आवंटी द्वारा उक्त नियमन बकाया किश्त राशी जमा कराने में विफल रहने पर तत्कालीन तहसीलदार मांगरोल द्वारा एक प्रकरण न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां के न्यायालय में मिशल संख्या 2/1997 वास्ते आवंटन खारिज हेतु दर्ज करवाया। जिस पर न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां द्वारा निर्णय दिनांक 27.12.1997 के तहत आवंटी द्वारा बावजूद सूचना राशी जमा नही कराने से आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर वादी द्वारा एक अपील संख्या 139/2011 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में पेश की जिसके निर्णय दिनांक 23.01.2012 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 27.12.1997 को अपास्त किया जाकर इस न्यायालय को अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का उचित अवसर देकर नये सिरें से विधि सम्मत निर्णय पारित हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त आशय का वाद न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से प्राप्त होने पर दिनांक 10.11.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी पालना में आज दिनांक 20.11.2018 को वकील वादी एवं बहैसियत प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल असालतन में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन एवं आवंटी चतरा पुत्र धूलीनाथ निवासी ग्राम पापडली की कीमत आवंटन बकाया राशी रू0 3000/– प्रति बीघा से पुराने खसरा नं0 219 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा नं0

रकबा 0.80 है0 बनते है, जमा कराने की बुक क्रमांक 0091533 में सीरियल नं0 0000047 दिनांक 20. 2018 से कुल रू0 15000/– जमा करवाने की रसीद की प्रमाणित प्रति उपस्थित होकर पेश की गयी, जो शामिल फाईल की गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण में वकील वादी व प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल की तथ्यात्मक रिपोर्ट व बहस फाईनल, व प्रस्तुत दस्तावेज यथा **आवंटन आदेश जर्ये मिशल संख्या 143 दिनांक 25.05.1989** एवं न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां की अपील संख्या 2/1997 निर्णय दिनांक 27.12.1997, निर्णय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा दिनांक 23.01.2012 व आवंटन शर्त अनुसार कीमत आवंटन राशी रू0 15000/– दिनांक 20.11.2018 को जमा करवाने की रसीद की प्रमाणित प्रति के अध्ययन के प्रकाश में वाद वादी स्वीकार किया जाता है व ग्राम पापडली की हाल आराजी खसरा नं0 439 रकबा 0.80 है0 पर आवंटी वादी चतरा पुत्र धूलीनाथ जाति नाथ निवासी पापडली तहसील मांगरोल के नाम गैर खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाय